

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062020-220139
CG-DL-E-24062020-220139

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1796]
No. 1796]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2020/आषाढ़ 3, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2020/ASADHA 3, 1942

वस्त्र मंत्रालय

[पीएसयू (सीओपी) अनुभाग]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2020

का. आ. 2021(अ).— रूग्ण वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 (1974 का 57) की धारा 17 की उप-धारा (1), स्वदेशी कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1986 (1986 का 30) की धारा 15 की उप-धारा (1) और वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995 (1995 का 39) की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, श्री संजय शर्मा, संयुक्त सचिव को दिनांक 29.05.2020 से भुगतान आयुक्त के पद पर नियुक्त करती है और उन स्थानीय सीमाओं को परिभाषित करती है जिनके भीतर भुगतान आयुक्त संपूर्ण भारत के रूप में उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे।

[फा. सं.13/1/2018/पीएसयू/(सीओपी)]

निहार रंजन दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES**[PSU (CoP) Section]****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th June, 2020

S.O. 2021 (E).—In exercise of the power conferred by Sub-Section (1) of Section 17 of the Sick Textiles Undertaking (Nationalization) Act, 1974, (57 of 1974), Sub-Section (1) Section 15 of the Swadeshi Cotton Mills Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1986 (30 of 1986) and Sub-Section (1) of Section 17 of Textiles Undertaking (Nationalization) Act, 1995 (39 of 1995), the Central Government appoint Shri Sanjay Sharan, Joint Secretary as Commissioner of Payments w.e.f. 29.05.2020 and defines the local limits within which the said Commissioner of Payments shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on him, as the whole of India.

[F. No. 13/1/2018-PSU/(CoP)]

NIHAR RANJAN DASH, Jt. Secy.